प्रति संलग्न विवरण में दी गई है (**नीचे देखिये**) ।

(ख) निरीक्षण रिपोर्ट में तत्कालीन संयोजक द्वारा दी गई ऐसी किसी सलाह का उल्लेख नहीं है ।

विवरण

अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को संबोधित संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 7 अक्तूबर, 1983 के पत्र संख्या 11013/6/83–समिति–2 की प्रति

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई ।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति ने दिनांक 5.9.83 को आपके कार्यालय का निरीक्षण किया था । उपसमिति को प्रस्तुत की गई प्रश्नावली तथा उसके साथ संलग्न कागजों में और उपसमिति के साथ चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई । इस सिलसिले में आपने आश्वासन दिया था कि आपके कार्यालय के सरकारी कामकाज में सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी का प्रयोग क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा और इस संबंध में जारी किए गए नियमों और आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा । इस सिलसिले में कृपया निम्नलिखित बातों का खासतौर पर ध्यान रखें :

1. हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में शीघ्र प्रशिक्षित कराया जाएगा ।
2. कार्यालय में हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग बढ़ाई जाएगी ।
3. हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को राजभाषा नियमों के नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के संबंध में आदेश दिए जाएंगे ।
4. हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी के काम पर लगाया जाएगा ।
5. हिन्दी भाषा राज्यों में तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित कार्यालयों से और इन राज्यों में जनता से तथा मुख्यालय से मूलपत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाएगा ।
6. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा ।
7. वर्ग "ग" और "घ" के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएंगी ।
8. विभिन्न रजिस्टरों में इंदराज हिन्दी में किए जाएंगे ।
9. हिन्दी की अधिक पुस्तकें खरीदी जाएंगी ।
10. जल इंजीनियरी पर मूल रूप से हिन्दी में पुस्तके लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कार देने के संबंध में बनाई गई योजना को सिंचाई मंत्रालय द्वारा शीघ्र अनुमोदित करा लिया जाएगा ।
11. हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के संबंध में राज भाषा विभाग द्वारा जारी किए गए 1983–84 के वार्षिक कार्यक्रम का पूर्णरूप से पालन किया जाएगा ।

अनुरोध है कि इस संबंध में जो भी प्रगति हुई अथवा जो योजना बनाई गई हो उसके बारे में संक्षेप में समिति के सचिवालय को 15.12.83 तक अवगत कराने का का कष्ट करें ।

Seizure of heroin in Punjab

2107. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
DR. MOHD. HASHIM KIDWAI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Hindustan Times dated the 7th January, 1988 wherein it has been stated that heroin worth crores of rupees was seized in Ludhiana, Punjab;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any arrests have been made in this connection;

(d) the estimated value of heroin seized in the country during the past six months, particularly in Delhi, Haryana and Punjab; and

(e) what steps Government have taken to curb such activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) to (e) On 6-1-1988, the Customs staff at Ludhiana seized 175 kgs. of brownish powder, reported to be heroin, and 39 kgs. of opium along with two trucks involved in the case. Four persons arrested in this connection have been remanded to judicial custody.

No precise value of the drugs seized can be estimated as this is dependent upon various factors like quality of the drugs, place of origin, etc.

Government have initiated various aggressive counter-measures against drug-trafficking which include strengthening of the preventive and intelligence machinery, adoption of a liberalised reward scheme for officers and informers, increased co-operation between various drug law enforcement agencies, bilateral co-operation with Pakistan and regional co-operation under the umbrella of SAARC. The matter is also kept under constant review for appropriate action.

पूरी होने के लिए लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

2108. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या-क्या हैं जो अपने पूरा होने की निर्धारित अवधि से पीछे हैं ;

(ख) मूलत: इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना थी ;

(ग) संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(घ) उन पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 181 वृहद् तथा 433 मध्यम निर्माणाधीन परियोजनाएं सामान्यतया पूरा होने की निर्धारित अवधि से पीछे हैं । परियोजना रिपोर्टों में पूरा किए जाने की दी गई संभावित तारीखें अन्तरिम होती हैं तथा उनका पूरा होना राज्यों द्वारा दी गई पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है । सातवीं योजना के आरंभ में निर्माणाधीन वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं की आगे लाई गई लागत लगभग 26,600 करोड़ रुपए होने का अनुमान था ।

बाण सागर परियोजना

2109. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश को कब से लाभ मिलना शुरू होने की संभावना है ;

(ख) इस समय यह परियोजना किस चरण में है ; और